

प्रेस नोट थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर दिनांक 12.08.2026

कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अवैध बैनामा करने के आरोप में 03 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक पिपराइच के नेतृत्व में मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0-303/2026 धारा 61(2),318(4),351(3),352,338,336(3),340(2) भा0न्या0सं0 से संबंधित अभियुक्त 1. रामबहाल पुत्र स्वर्गीय बैजू 2. अवधराज पुत्र स्वर्गीय बैजू 3. राधे पुत्र स्वर्गीय बलिकरन को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण –

अभियुक्तों द्वारा वादी के माता के नाम की जमीन को बिना स्वामित्व के कूटरचित दस्तावेज तैयार कर कई व्यक्तियों के नाम बैनामा करने के संबंध में थाना स्थानीय पर प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. रामबहाल पुत्र स्वर्गीय बैजू निवासी गुलरिहा थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर
2. अवधराज पुत्र स्वर्गीय बैजू निवासी गुलरिहा थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर
3. राधे पुत्र स्वर्गीय बलिकरन निवासी गुलरिहा थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0स0-303/2026 धारा 61(2),318(4),351(3),352,338,336(3),340(2) भा0न्या0सं0 थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. थानाध्यक्ष अनूप कुमार सिंह थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 अनीश कुमार सिंह थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 अखिलेश कुमार अरुण थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर
4. का0 अजय कुमार मिश्रा थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर
5. रि0का0 शैलेन्द्र यादव थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर